सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वादसंख्याः—2022/95 दर्ज तिथिः—13.04.2022

1. रामकिशन पुत्र हीराराम
   जाति विश्नोई निवासी बारूडी तहसील गुढामालानी जिला बाड़मेर

..................वादी

बनाम

1. तुलछाराम पुत्र हीराराम
2. छोगाराम पुत्र हीराराम
3. सूजाराम पुत्र हीराराम
   जाति विश्नोई निवासी बारूडी तहसील गुढामालानी जिला बाड़मेर

..................असल प्रतिवादीगण

4. शाखा प्रबन्धक एसबीबीजे हाल एस.बी.आई. राणा प्रताप बाजार गुढामालानी
5. तहसीलदार गुढामालानी

..................तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीगणः— श्री डालूराम चौधरी।
प्रतिवादीगणः— श्री हरीश चौधरी।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा— 53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः— 12.08.2024

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 का बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकासमा

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.08.13 14:48:01 IST
Reason: SelfAttested

एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी हाल खसरा संख्या 293 / 1.1817 है0, 404 / 1.6754 है0, 291 / 0.0324 है0, 292 / 2.3229 है0, 432 / 11.5335 है0, 436 / 9.5587 है0, 430 / 9.3806 है0 वाकै ग्राम बारूडी तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा प्रतिवादीगण का हिस्सा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादी की उक्त हिस्सा आराजी के कृषि काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादीगण को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बावजूद विधिवत तामील अनुस्थित रहने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में वादी की तरफ से साक्ष्य प्राप्त की जाकर अभिभाषक वादी की एकतरफा बहस सुनी गई। प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार गुढामालानी से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गुढामालानी द्वारा अपने पत्रांक / भू.अ. / 2023 / 554 दिनांक 17.03.2023 के द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित की। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रतिवादीगण मय अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर आपत्ति जाहिर कर जरिये राजीनामा विभाजन करने की सहमति दी। तदोपरान्त दोनों पक्षों की ओर से लिखित राजीनामा मय नजरी नक्शा प्रस्तुत कर माफिक राजीनामा निर्णय पारित करने का निवेदन किया। उभयपक्षकारान की ओर से प्रस्तुत सहमति राजीनामा पर अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस सुनी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.08.13 14:48:01 IST
Reason: SelfAttested

3. प्रकरण में अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2073—2076 तथा उपयपक्षकारान द्वारा दिनांक 31.05. 2024 को प्रस्तुत सहमति राजीनामा का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादी एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 293 / 1. 1817 है0, 404 / 1.6754 है0, 291 / 0.0324 है0, 292 / 2.3229 है0, 432 / 11.5335 है0, 436 / 9.5587 है0, 430 / 9.3806 है0 वाकै ग्राम बारूडी तहसील गुडामालानी के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की राजीनामा रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है अतः दावा वादीगण मुताबिक माफिक राजीनामा विभाजन—प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा— ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

4. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ—साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। स्थाई निषेधाज्ञा में तीन महत्वपूर्ण बिन्दु है जो इस प्रकार हैः—

प्रथम— स्वामित्व एवं कब्जाः— प्रकरण के बाद तकसीम पृथक—पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह—काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। अतः प्रथम शर्त पुष्ट होती है।

द्वितीय— सुविधा का सन्तुलनः— प्रकरण में बाद तकसीम पृथक—पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.08.13 14:48:01 IST
Reason: SelfAttested

काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक—पृथक खाते दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। जब खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में स्पष्ट है।

तृतीय— अपूरणीय क्षतिः— प्रकरण में बाद तकसीम पृथक—पृथक खातें का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करे या आमद—रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

5. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक—पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादी अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 293/1.1817 है0, 404/1.6754 है0, 291/0.0324 है0, 292/2.3229 है0, 432/11.5335 है0, 436/9.5587 है0, 430/9.3806 है0 वाकै

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.08.13 14:48:01 IST
Reason: SelfAttested

ग्राम बारूडी तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर मुताबिक उभयपक्षकारान द्वारा दिनांक 31.05.2024 एवं 15.07.2024 को प्रस्तुत सहमति राजीनामा कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा–ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग–अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुडामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	हिस्सा	खसरा	रकबा	किस्म
छोगाराम पुत्र हीराराम जाति विश्नोई सा. देह खातेदार रहन–सम्पूर्ण खाता SBBJ गुढामालानी	मुताबिक जमाबन्दी	291 292 293 404 432	0.0324 2.3229 1.1817 1.6754 3.6810	गे.मु.ढाणी बा.दो. बा.दो. बा.दो. बा.दो.
किता 05 रकबा 8.8934 हैक्टेयर				
तुलछाराम पुत्र हीराराम जाति विश्नोई सा. देह खातेदार रहन–सम्पूर्ण खाता SBBJ गुढामालानी	मुताबिक जमाबन्दी	430 436 432	2.4538 3.4754 2.9642	बा.दो. बा.दो. बा.दो.
किता 03 रकबा 8.8934 हैक्टेयर				
रामकिशन पुत्र हीराराम जाति विश्नोई सा. देह खातेदार रहन–सम्पूर्ण खाता SBBJ गुढामालानी	मुताबिक जमाबन्दी	430 436	3.1348 5.7586	बा.दो. बा.दो.
किता 02 रकबा 8.8934 हैक्टेयर				
सूजाराम पुत्र हीराराम जाति विश्नोई सा. देह खातेदार रहन–सम्पूर्ण खाता SBBJ गुढामालानी	मुताबिक जमाबन्दी	430 436 432	3.7920 0.3247 4.7767	बा.दो. बा.दो. बा.दो.
किता 03 रकबा 8.8934 हैक्टेयर				
छोगाराम तुलछाराम रामकिशन सूजाराम पि0 हीराराम सा. देह खातेदार (सार्वजनिक रास्ता हेतु)	मुताबिक जमाबन्दी	432	0.1116	गे.मु.रास्ता
किता 01 रकबा 0.1116 हैक्टेयर				

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.08.13 14:48:01 IST
Reason: SelfAttested

उक्तानुसार पक्षकारान अपने—अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक—पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

उभयपक्षकारान का आपसी राजीनामा तथा राजीनामे के साथ प्रस्तुत नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार गुडामालानी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। पक्षकारान खर्चा अपना—अपना वहन करेगें।

यह निर्णय आज दिनांक 12.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.08.13 14:48:01 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वादसंख्याः—2022 / 95 दर्ज तिथिः—13.04.2022

1. रामकिशन पुत्र हीराराम
   जाति विश्नोई निवासी बारूडी तहसील गुढामालानी जिला बाड़मेर

..................वादी

बनाम

1. तुलछाराम पुत्र हीराराम
2. छोगाराम पुत्र हीराराम
3. सूजाराम पुत्र हीराराम
   जाति विश्नोई निवासी बारूडी तहसील गुढामालानी जिला बाड़मेर

..................असल प्रतिवादीगण

4. शाखा प्रबन्धक एसबीबीजे हाल एस.बी.आई. राणा प्रताप बाजार गुढामालानी
5. तहसीलदार गुढामालानी

..................तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीगणः— श्री डालूराम चौधरी।
प्रतिवादीगणः— श्री हरीश चौधरी।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा— 53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955

—:पर्चा डिक्रीः—

निर्णय तिथिः— 12.08.2024

दावा वादी अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 293/1.1817

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.08.13 14:48:01 IST
Reason: SelfAttested

है0, 404/1.6754 है0, 291/0.0324 है0, 292/2.3229 है0, 432/11.5335 है0, 436/9.5587 है0, 430/9.3806 है0 वाकै ग्राम बारूडी तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर मुताबिक उभयपक्षकारान द्वारा दिनांक 31.05.2024 एवं 15.07.2024 को प्रस्तुत सहमति राजीनामा कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा–ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग–अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुडामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	हिस्सा	खसरा	रकबा	किस्म
छोगाराम पुत्र हीराराम जाति विश्नोई सा. देह खातेदार रहन–सम्पूर्ण खाता SBBJ गुढामालानी	मुताबिक जमाबन्दी	291 292 293 404 432	0.0324 2.3229 1.1817 1.6754 3.6810	गे.मु.ढाणी बा.दो. बा.दो. बा.दो. बा.दो.
किता 05 रकबा 8.8934 हैक्टेयर				
तुलछाराम पुत्र हीराराम जाति विश्नोई सा. देह खातेदार रहन–सम्पूर्ण खाता SBBJ गुढामालानी	मुताबिक जमाबन्दी	430 436 432	2.4538 3.4754 2.9642	बा.दो. बा.दो. बा.दो.
किता 03 रकबा 8.8934 हैक्टेयर				
रामकिशन पुत्र हीराराम जाति विश्नोई सा. देह खातेदार रहन–सम्पूर्ण खाता SBBJ गुढामालानी	मुताबिक जमाबन्दी	430 436	3.1348 5.7586	बा.दो. बा.दो.
किता 02 रकबा 8.8934 हैक्टेयर				
सूजाराम पुत्र हीराराम जाति विश्नोई सा. देह खातेदार रहन–सम्पूर्ण खाता SBBJ गुढामालानी	मुताबिक जमाबन्दी	430 436 432	3.7920 0.3247 4.7767	बा.दो. बा.दो. बा.दो.
किता 03 रकबा 8.8934 हैक्टेयर				
छोगाराम तुलछाराम रामकिशन सूजाराम पि0 हीराराम सा. देह	मुताबिक जमाबन्दी	432	0.1116	गे.मु.रास्ता

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.08.13 14:48:01 IST
Reason: SelfAttested

खातेदार (सार्वजनिक रास्ता हेतु)				
किता 01 रकबा 0.1116 हैक्टेयर				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक–पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

उभयपक्षकारान का आपसी राजीनामा तथा राजीनामे के साथ प्रस्तुत नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। खर्चा अपना–अपना वहन करेगें।

यह डिक्री आज दिनांक 12.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी की गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.08.13 14:48:01 IST
Reason: SelfAttested